कार्यालय नियंत्रक, नाप तौल, म.प्र. भोपाल

क्रमांक 596/नातौ/अ–1(1)/2004, भोपाल दिनांक 3.2.2004

प्रति,

समस्त निरीक्षक,
नाप तौल, म.प्र.

विषयः– म.प्र. बॉट तथा माप मानक (प्रव.) नियम 1989 के नियम 22(5) का पालन कराने बाबत्।

विषयान्तर्गत पाया गया है कि उपभोक्ताओं द्वारा म.प्र. बांट तथा माप मानक (प्रव.) नियम 1989 के नियम 22(5) का पालन नही कर रहे है। इस नियम के प्रावधा के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को उपकरणों की यथार्वता की उचित जांच पड़ताल सुनिश्चित करने के लिये उनको उपकरणों की क्षमता के दसवे भाग या एक टन जो भी कम होने के बराबर सत्यापित एवं मुद्रांकित बांट प्रत्येक तौल उपकरण के स्थान पर रखा जाना आवश्यक है। इस नियम के परन्तु के द्वारा प्रदत्त अधिकारो के अंतर्गत पूर्व में भी अधिक तौल उपकरण होने की दशा मे तौल उपकरणो में से अधिकत्तम क्षमता के उपकरण के दसवे भाग के बराबर सत्यापित बांट रखने के निर्देश जारी किये।

देखा गया है कि उपरोक्त नियमों का पालन उपभोक्ताओं से नही कराया जा रहा है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे उल्लंघन की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नियंत्रक
नाप तौल, म.प्र. भोपाल

पृ.क्रं. 597/नातौ/ अ–1(1)/2004 भोपाल, दिनांक 3.2.2004

प्रतिलिपि :–

समस्त उप/सहायक नियंत्रक, नाप तौल म.प्र. की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आप भी अपने भ्रमण के समय देखे कि निरीक्षकगण उक्त नियम को उपभोक्ताओं से पालन करवा रहे है या नही। इस आदेश की प्रति स्थानीय चेम्बर कार्मस एवं अन्य मान्यता प्राप्त व्यापारी संघो को दी जावें।

नियंत्रक
नाप तौल, म.प्र. भोपाल